न्यायालय– सिविल जज (सी.डि.), चित्रकूट
परिवाद संख्या– 562/2019
CNRUPCH040072912019
रेखा देवी बनाम मखसूदन आदि

<u>28.06.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादिया उपस्थित नहीं है।

विगत कई तिथियों से पत्रावली पर परिवादिया उपस्थित नहीं आ रही है। परिवादिया द्वारा धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं को परीक्षित कराया गया है परंतु उसके द्वारा परिवाद के समर्थन में धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादिया दिनांक 25.09.2020 से लगातार अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिवादिया को परिवाद चलाने में कोई रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवादिया की अनुपस्थिति, परिवादिया द्वारा परिवाद पर बल न दिये जाने के कारण एवं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में परिवाद धारा 203 दं0प्र0सं0 के तहत निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादपत्र अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 के तहत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (सी.डि.)/ए0सी0जे0एम0
चित्रकूट
जे0ओ0 कोड यू0पी02284